S. No. 4(I)

जारी किया
ISSUED
15 JUL 2013
प्रलेखा सं०/Rd/MHA/NDCC-II

स्पीड पोस्ट

सं. 21/55/2013- एम एंड जी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड
नई दिल्ली 12 जुलाई, 2013

15 JUL

सेवा में

श्री सुनील कुमार,
ग्राम किशनपुरा, डाकघर सारनव,
थाना नटवर, जिला रोहताश,
बिहार, पिन-802218

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना मुहैया करवाना।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित विषय से संबंधित आपके दिनांक 07.03.2013 के आवेदन तथा के. लो. नि. वि. के दिनांक 21.06.2013 के पत्र सं. 416/2013/ आर टी आई सैल/महानिदेशालय/3631-70 के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि आपके ऊपर उल्लिखित पत्र को अपेक्षित सूचना मुहैया करवाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत शहरी विकास मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया था क्योंकि मांगी गई सूचना उस मंत्रालय के पास उपल्बध है/सूचना का उस मंत्रालय के कार्यों से गहन/ रूप से संबंध है। तथापि, उस मंत्रालय ने इसे लौटा दिया है।

2. इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि गृह मंत्रालय राष्ट्रपति की परिलाब्धियां एवं पेंशन अधिनियम, 1951 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों, जो राष्ट्रपति के वेतन तथा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले लाभों से संबंधित है, से केवल प्रशासनिक रूप से ही संबंधित है। राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 के अनुसार भूतपूर्व राष्ट्रपति नि:शुल्क बिजली एवं पानी सहित टाईप VIII के किराया-मुक्त सुसज्जित आवास का उपभोग करने का हकदार है उक्त अधिनियम तथा नियमों के अनुसार सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उसके जीवित पति-पत्नी हेतु आवास का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी है। अत: भूतपूर्व राष्ट्रपति को आबांटित रिहायशी आवासों के संबंध में मुहैया करवाने के लिए इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

3. इस पत्र के विरूद्ध अपील श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस) एवं प्रथम अपील प्राधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी ।। भवन, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली के समक्ष की जाएगी।

भवदीय,

[आशुतोष जैन]
निदेशक एवं केन्द्रीय
लोक सूचना अधिकारी

प्रति प्रेषित:-

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (समन्वय), डी डी जी (डबल्यू) का कार्यालय, के.लो.नि.वि., निर्माण भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 21.06.2013 के पत्र सं. 416/2013/आर टी आई सैल/महानिदेशालय/3631-70 के संदर्भ में।

DATE-07-03-2013

लोक सूचना पदाधिकारी (आवास)
महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय (भवन)
नई दिल्ली -110004

RTI Application
President's Secretariat
(RTI Section)
Dy. No. 2290/RTI/12-13
Date 13-3-13
Signature [signature]

विषय :- सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन।

महोदय

मैं सुनील कुमार, ग्राम - किशुनपुरा, पो० - सरांव, थाना - नटवार, जिला - रोहतास, राज्य - बिहार का निवासी हूँ। मैं आपके विभाग से संबंधित निम्न सूचना की मांग करता हूँ। जो निम्न है :-

भारतबर्ष के सन् 1947 के बाद संविधान लागू के बाद जो जो राष्ट्रपति हुए उनके आवास के लिए कहां कहां कितना क्षेत्रफल में मकान का आवंटन हुआ। उन भवनों पर अभी तक वार्षिकी देख रेख एवं रख रखाव में कितने खर्च आते हैं। महामहिम राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद की जानकारी अभिप्रमाणित प्रति में उपलब्ध कराएं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा।

आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ। जिसका नम्बर है। 13F 279474 = 10 रुपया।

भवदीय
सुनील कुमार
ग्राम - किशुनपुरा
पो० - सरांव
थाना - नटवार
जिला - रोहतास
राज्य - बिहार
पिन कोड - 802218
मो० नं० 09470605875